पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) G20

Phone No.-0771-2262587, Website : prsu.ac.in, E-mail- dradmin@prsu.ac.in

विज्ञापन कमांक 962 / स्था. / सा.प्रशा. / 2025 रायपुर, दिनांक 19/03/2025

अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन

छ ग शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक F 3–54 / स्था. / 2020 / 38–1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20–06–2024 के अनुसार पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में विभिन्न अध्ययनशालाओं मे विभिन्न विषयों में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की फोटो प्रति संलग्न करते हुए पूरित आवेदन पत्र के साथ अंतिम तिथि दिनांक **31.03.2025 को सायं 5.30** बजे तक रजिस्टर्ड डाक / कूरियर के माध्यम से अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) **कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल** विश्वविद्यालय, **रायपुर** छ.ग. को प्रेषित करेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि को समय **सायं 5.30** के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक होने चाहिये परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना आवश्यक होगा।
2. आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. **पदों का विवरण : – विज्ञापित व्यवस्था के अंतर्गत रिक्त पदों की संख्या निम्नांकित तालिका के (B) कालम में प्रदर्शित है। (पदों की संख्या** अध्ययनशालाओं **की आवश्यकता के आधार पर परिवर्तनीय है।)**

क्र	अध्ययनशाला एवं विषय	अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक के कुल रिक्त पद
	(A)	(B)
1	भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला	02
	कुल	02

टीप :–संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति / नियमित **पदस्थापना या स्थानांतरण** के **फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक की सेवा स्वयं समाप्त हो जायेगी।**

शर्ते :–

1. पदों की संख्या अध्ययनशालाओं की आवश्यकता के आधार पर परिवर्तनीय है। पदों की संख्या में परिवर्तन का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन में सुरक्षित होगा।

क्रमशः–02

2. अतिथि व्यवस्था अंतर्गत सत्र में अधिकतम 15 जून 2025 तक कार्य संपादन कराया जायेगा। सत्र में कार्य संतोषप्रद होने पर अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के प्रावधान अनुरूप आगामी सत्र मे कार्य कराये जाने हेतु विचार किया जा सकता है। तत्संबंध में सर्वाधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन में सुरक्षित होगा।
3. आवेदन (निर्धारित प्रपत्र में) के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वी, 12वी, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट, नेट, एम फिल, पी.एच. डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. **दिनांक 31/03/2025 को सायं 5.30 तक** कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से/कुरियर के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जाएगा। **ई-मेल से भेजे गए आवेदनों को मान्य नहीं किया** जाएगा।
5. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर राज्य शासन के अतिथि व्याख्याता नीति–2024 के आधार पर अंक प्रदान किया जायेगा।
6. विभिन्न अध्ययनशालाओं हेतु प्राप्त आवेदनों तथा प्राप्तांकों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
7. उपरोक्तानुसार प्रकाशित प्राप्तांक पर **दावा आपत्ति साक्षात्कार समिति के समक्ष रख सकेगा।**
8. साक्षात्कार के अंकों सहित अंतिम गुणानुक्रम सूची साक्षात्कार के उपरांत विश्वविद्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।
9. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय अतिथि व्याख्याता नीति– 2024 के अनुसार इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवाएँ समाप्त नही की गई है।
10. चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उस दशा में उसके चयन की दावेदारी खत्म मानी जाएगी।
11. अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएँ भविष्य में नियमितीकरण का आधार नही होगी।
12. **अतिथि व्यवस्था के अन्तर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा:–**

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) **40–45 मिनट के एक व्याख्यान** के लिए			
1	40–45 मिनट व्याख्यान के लिए	400/–	300/–
2	चार कालखंडों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– (30,000/– प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए			
3	60 मिनट व्याख्यान के लिए	500/–	350/-
4	चार कालखंडों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/–(50,000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1400/– (35,000/– प्रतिमाह अधिकतम)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No.-0771-2262587, Website : prsu.ac.in, E-mail- dradmin@prsu.ac.in

13. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता **कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, आमानाका, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492010** एवं आवेदित **विषय/पद** आवश्यक रूप से लिखे।
14. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता /अतिथि शिक्षण सहायक को विश्वविद्यालय स्थापना के अन्तर्गत नहीं माना जाएगा और यह लोक सेवक के विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।
15. संस्थान में इस व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
16. सर्वत्र अनुशासन बनाये रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
17. कक्षाओं के संचालन के साथ साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य प्रवेश, परीक्षा, छात्र संघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधीय, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे।
18. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएँ तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।
19. **अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक की संम्पूर्ण चयन प्रक्रिया एवं समस्त सेवा शर्तें उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन के अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अधीन रहेगी। तथा चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के विवाद/व्याख्या की स्थिति में माननीय कुलपति, का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।**

कुलसचिव
पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर, (छ.ग.) 492010

S D:\Manoj Sir File-2025\Guest Faculty अतिथि व्याख्याता by Jha Sir\General Latter's & Order's 2025 docx